न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 :- 5/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
तहसीलदार जालोर जरिये भूमिधारी राजस्थान सरकार		1. बगदाराम पुत्र खानाराम 2. वालाराम पुत्र खानाराम 3. चौपाराम पुत्र खानाराम 4. हटाराम पुत्र खानाराम 5. देवाराम पुत्र खानाराम 6. हंजादेवी पत्नि खानाराम 7. रूपीदेवी पुत्री खानाराम 8. धनाराम पुत्र भाणाराम 9. पकाराम पुत्र भाणाराम 10.बगदीदेवी पत्नि भाणाराम 11.तेजाराम पुत्र मानाराम 12.वीराराम पुत्र मानाराम 13.पारसाराम पुत्र मानाराम 14.पेमाराम पुत्र मानाराम 15.भगाराम पुत्र जैरूपाराम समस्त कौम मेघवंशी साकिन तीखी 16.शाखा प्रबंधक मारवाड ग्रामीण बैंक, बिशनगढ़

दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 75
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. तहसीलदार जालोर पैरोकार राजस्थान सरकार एवं भूमिधारी
2. श्री तेजसिंह बालावत, अभिभाषक अप्रार्थीगण 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13

निर्णय

दिनांक :- 17/7/18

प्रार्थी तहसीलदार जालोर ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि मौजा तीखी तहसील जालोर की प्रथम मिसल बन्दोबस्त संवत् 2009 से 2028 में खाता सं0 31 में आराजी ख0नं0 29 रकबा 31 बीघा 6 बिस्वा खातेदार अचलीया वल्द खुमो 1/3, खानीया वल्द रूगनाथ 1/3, इदिया वल्द खुमा 1/3 कौम भाम्बी साकिन तीखी के नाम दर्ज है। सह खातेदार अचलीया वल्द खुमा 1/3 हिस्सा के फौत होने पर जरिये विरासत नामान्तरकरण 8 के अचलिया वल्द खुमा 1/3 के बजाय भाणीया मानीया पिता अचला 1/3 दर्ज हुआ। सह खातेदार इदिया वल्द खुमा के फौत होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 02.10.1977 द्वारा इदिया के भतीज खानीया पुत्र रूगनाथा, तेजीया, वीरीया, पारसीया, पेमा पि0 मानीया, भाणीया वल्द अचलीया, मगीया वल्द जेरूपा के नाम दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। परन्तु उक्त विरासत नामान्तरकरण के हिस्से स्पष्ट शुद्ध दर्ज नही किये जाकर सभी वारिसान के अन्त में 1/12 हि0 दर्ज किया जो त्रुटिपूर्ण है एवं उक्त नामान्तरकरण सं0 165 का अमल दरामद जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 के खाता सं0 10 पर करते समय भी हिस्से त्रुटिपूर्ण दर्ज कर खाता खानीया पुत्र रूगनाथा 1/3, भाणिया पुत्र अचला 1/4, तेजीया, वीरीया, पारसीया, पेमा पि0 मानीया 1/4, मगीया पुत्र जैरूपा 1/12 दर्ज किये है। पटवारी हल्का तीखी एवं निरीक्षक भू0अ0 बिशनगढ की जांच रिपोर्ट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 165 के अमल दरामद के बाद जमाबंदी खाता सं0 10 संवत 2034-2037 में वर्णित हिस्से खानीया पुत्र रूगनाथा 1/3,

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

भाणीया पुत्र अचला 1/4, तेजीया, वीरीया, पारसीया, पेमा पि0 मानीया 1/4, मगीया पुत्र जैरूपा 1/12 दर्ज किये है। इसमें हिस्से बिल्कुल त्रुटिपूर्ण दर्ज किये है। हिस्सों का योग 1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/12 = 1/1 की बजाय 11/12 हो रहा है जो त्रुटिपूर्ण है एवं इदिया लावल्द फौत होने से नामान्तरकरण सं0 165 के प्रस्तावित स्वीकृत प्रविष्ठि कॉलम सं0 11 में खानीया पुत्र रूगनाथा 4/9, भाणिया पुत्र अचला 2/9, तेजीया, वीरीया, पारसीया, पेमा पि0 मानीया 2/9, मगीया पुत्र जैरूपा 1/9 दर्ज होना चाहिये था जो नही हुए है। इसके बाद द्वितीय सेट्लमेंट के पूर्व की अंतिम जमाबंदी संवत् 2042 के खाता सं0 15 पर भी उक्त त्रुटि बरकरार है एवं द्वितीय सेट्लमेंट के बाद तैयार मिसल बंदोबस्त 2051 से 2070 में गत ख0नं0 29 के हाल ख0नं0 107, 108, 109, 112, 116 खाता सं0 69 पर भी उक्त त्रुटि बरकरार है एवं वर्तमान जमाबंदी खाता सं0 29 संवत् 2073-2076 में भी त्रुटिपूर्ण इन्द्राज दर्ज है। जमाबंदी सेग्रीगेशन में हिस्सों का सही मिलान करने के मध्यनजर गत नामान्तरकरण सं0 165 में आंशिक संशोधन कर खानीया पुत्र रूगनाथा 4/9 हि0 भाणीया पुत्र अचला 2/9 हि0, तेजीया, वीरीया, पारसीया, पेमा पि0 मानीया 2/9, भगीया पुत्र जैरूपा 1/9 हि0 दर्ज किया जाना आवश्यक है एवं तद्नुसार वर्तमान जमाबंदी खाता सं0 29 संवत् 2073-2076 में कालम नं0 4 में दर्ज अशुद्ध हिस्सों की बजाय बदाराम, वालाराम, चौथाराम, हराराम, देवाराम पि0 खानाराम, हंजादेवी पत्नि खानाराम, रूपीदेवी पुत्री खानाराम 4/9 हि0, धनाराम, पकाराम पि0 भाणाराम, बगदीदेवी पत्नि भाणाराम 2/9 हि0, तेजाराम, वीराराम, पारसाराम, पेमाराम पि0 मानाराम 2/9 हि0, भगाराम पुत्र जैरूपा 1/9 हि0 कौम मेघवंशी सा0 देह खातेदार रहन भगाराम पुत्र जैरूपा का हिस्सा मारवाड ग्रामीण बैंक शाखा बिशनगढ़ शुद्ध हिस्से दर्ज करने हेतु प्रस्ताव अपील नामान्तरकरण प्रस्तुत है। अतः नियमानुसार रिकार्ड दूरस्ती अन्तर्गत धारा 175 आर0एल0आर0 एक्ट 1956 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 से 4, 8, 9, 12, 13 की तरफ से वकील श्री तेजसिंह जी ने वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 10 बगदीदेवी की मृत्यु हो चुकी है। उसके कायम मुकाम पहले से ही रिकार्ड पर है। अप्रार्थी संख्या 15 भगाराम पुत्र जैरूपा की भी मृत्यु हो चुकी है। उसके कायम मुकाम रेकर्ड पर नही लिये गये है। चुंकि प्रकरण का विस्तृत अवलोकन करने व प्रकरण में वर्णित तथ्यों के आधार पर यह प्रकरण धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपील का नही होकर धारा 136 के अन्तर्गत रेकर्ड शुद्धि का है। ऐसे प्रकरण संक्षिप्त जांच (Summary Trial) के अन्तर्गत निस्तारित किये जाते है, ऐसी स्थिति में यदि किसी मृत खातेदार के कामय मुकाम को रेकर्ड पर नही लिया जाता है व उनके कायम मुकाम के विरूद्ध कोई प्रतिकुल कार्यवाही होना नही पाया जाता है तो उन्हे रेकर्ड पर नही लिये जाने से प्रकरण में कोई विधिक त्रुटि या प्रक्रिया के विरूद्ध कार्यवाही सम्पन्न होना प्रतीत नही होता है। इस प्रकरण के अवलोकन व अध्ययन से भगाराम के कायम मुकाम के विरूद्ध कोई प्रतिकुल कार्यवाही सादिर नही होकर उनके पक्ष में अनुकूल कार्यवाही सादिर हो रही है, जिसका विस्तृत विवेचन आगे वर्णित किया जा रहा है।

प्रकरण में शेष अप्रार्थीगण का जवाब पेश नही होने से जवाब बन्द किया जाता है व अन्य शेष रहे अप्रार्थीगण जो गैर हाजिर रहे है उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ली जाती है।

बहस उभयपक्षों की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार मौजा तीखी की प्रथम मिसल बंदोबस्त संवत 2009 से 2028 में खाता सं0 31 का अवलोकन किया गया। जिसमें खसरा नं0 29 रकबा 31 बीघा 6 बिस्वा के खातेदार अचलीया वल्द खुमो 1/3, खानीया वल्द रूगनाथ 1/3, इदिया वल्द खुमा 1/3 के खातेदारी का दर्ज है। अचलीया वल्द खुमा 1/3 हिस्सा के फोत होने पर जरिये विरासत नामान्तरकरण सं0 84 अचलिया वल्द खुमा 1/3 के बजाय भाणीया मानीया पि0 अचला 1/3 दर्ज हुआ। इस अंकनों की पुष्टि नकल जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 से हो जाती है। जो सही व शुद्ध अंकन है। इदिया वल्द खुमा के लाऔलाद फोत होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 02.10.1977 के जरिये इदिया के भतीज खानीया पुत्र रूगनाथा व भाई अचलीया (फोत) के पुत्र भाणीया एवं अचलीया के ही पुत्र मानीया (फोत) के पुत्र तेजीया, वीरीया, पारसीया, पेमा पि0 मानीया एवं भाई जैरूपा के पुत्र भगीया के नाम दर्ज हुए है व इनका हिस्सा 1/12 दर्ज किया है। यह हिस्सा का अंकन पूर्णतया गलत व त्रुटिपूर्ण है। इस त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण

Scanned by CamScanner

के इन्द्राजो के बाद जमाबंदी संवत 2034 से 2037 में हिस्सों का त्रुटिपूर्ण इन्द्राज इस कदर किया है। '' खानीया पुत्र रूगनाथा 1/3, भाणीया पुत्र अचला 1/4, तेजीया, वीरीया, पारसीया, पेमा पि0 मानीया 1/4, मगीया पुत्र जैरूपा 1/12'' दर्ज हुआ।

इस खाते की स्थिति में अनुसार चुंकि प्रथम सेटलमेंट में आराजी गत ख0नं0 29 रकबा 31 बीघा 6 बिस्वा केवल खुमा के वारिसान खानीया पुत्र रूगनाथा 1/3 + 1/9 = 4/9 भाणीया पुत्र अचला 1/6 + 4/16 = 2/9 हि0 तेजीया, वीरीया, पारसीया, पेमा पि0 मानीया 1/6 + 1/18 = 2/9 हि0 मगीया वल्द जैरूपा 1/9 दर्ज होने चाहिये थे, परन्तु तत्समय नामान्तरकरण व जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण हिस्से दर्ज किये है। उक्त त्रुटि द्वितीय सेटलमेंट के पूर्व की अंतिम जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 में बरकरार है। द्वितीय सेटलमेंट की मिसल बन्दोबस्त में भी उक्त त्रुटि बरकरार दर्ज हुई है। इसी अनुसार वर्तमान जमाबंदी संवत 2073-2076 में भी उक्त त्रुटि बरकरार दर्ज है। इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी खाता सं0 29 में दर्ज अशुद्ध इन्द्राज बदाराम, वालाराम, चौपाराम, हराराम, देवाराम पि0 खानाराम श्रीमती हंजादेवी पत्नि खानाराम, रूपीदेवी पुत्री खानाराम 1/3 हि0, धनीया, पकीया पि0 भाणीया बगदी बेवा भाणीया 1/4, तेजीया, वीरीया, पारसीया, पेमा पि0 मानीया 1/4, भगीया वल्द जैरूपा 1/12 की बजाय शुद्ध इन्द्राज बदाराम, वालाराम, चौथाराम, हराराम, देवाराम पि0 खानाराम हंजादेवी पत्नि खानाराम, रूपीदेवी पुत्री खानाराम 4/9 हि0 धनाराम, पकाराम पि0 भाणाराम, बगदी देवी धर्मपत्नि स्व0 भाणाराम 2/9 हि0 तेजाराम वीराराम पारसाराम पेमाराम पि0 मानाराम 2/9 हि0 भगाराम वल्द जैरूपाराम 1/9 हि0 मगाराम वल्द जैरूपाराम 1/9 हि0 रहन मारवाड ग्रामीण बैंक बिशनगढ दर्ज किया जाना उचित व न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 132, 135, 136 के अनुसार राजस्व रेकर्ड का पर्यवेक्षण अपडेट व दुरस्त करने की प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत तहसीलदार जालोर का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा तीखी के वर्तमान खाता सं0 29 खसरा नं0 107, 108, 109, 112, 113, 116 कुल खसरा नं0 6 कुल रकबा 5.0700 हे0 में वर्तमान अशुद्ध व गलत इन्द्राज को शुद्ध रूप से राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने हेतु जमाबंदी के कॉलम नं0 4 में वर्तमान इन्द्राज की बजाय ''बदाराम, वालाराम, चौपाराम, हराराम, देवाराम पि0 खानाराम, हंजादेवी पत्नि खानाराम, रूपीदेवी पुत्री खानाराम 4/9 हि0 धनाराम, पकाराम पि0 भाणाराम, बगदीदेवी पत्नि भाणाराम 2/9 हि0 तेजाराम, वीराराम, पारसाराम, पेमाराम पि0 मानाराम 2/9 हि0 भगाराम पुत्र जैरूपा 1/9 हि0 भगाराम पुत्र जैरूपा का 1/9 हिस्सा रहन मारवाड ग्रामीण बैंक बिशनगढ दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। यदि किसी खातेदार की मृत्यु हो चुकी है तो नियमानुसार उसके कायम मुकाम का उक्तानुसार इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार जालोर तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक...17/7/19.....को सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जालोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2019.11.30 17:27:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: